गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
Guru Jambheshwar University, Moradabad
(A State University of Government of Uttar Pradesh)
Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

पत्रांकः गु0 जा0 वि0 वि0/आई0सी0सी0/2025/2261 दिनांकः 19.11.2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।

विषय–महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0–2013के अनुपालनार्थ मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में योजित M.A.N0. 1688/2023 Civil Appeal N0-2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांकः डिग्री विकास/2218/2025–26 दिनांक 18.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ संलग्न निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–1090–91/निदे0म0क0/अनु0/सिविल अपील–2482/2014/2024–25दिनांक 20 अगस्त, 2025 (छायाप्रति संलग्न) जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0–2013 के अनुपालनार्थ मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में योजित M.A.N0. 1688/2023 Civil Appeal N0-2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना विश्वविद्यालय की ई–मेल आई0डी0 iccgjum@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे समस्त महाविद्यालयों की सूचना संकलित करते हुए शासन को उपलब्ध कराई जा सके।

भवदीय,

(गिरीश कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1.अध्यक्ष आई.सी.सी. समिति विश्वविद्यालय।
2.क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
3.निजी सचिव, कुलपति।
4.वैय0 सहायक, कुलसचिव।
5.गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

शीर्ष प्राथमिकता
मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण
अनुस्मारक–1

प्रेषक,
निदेशक
महिला कल्याण
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 1090-91 / निदे0म0क0 / अनु0 / सिविल अपील–2482 / 2014 / 2024–25
लखनऊःदिनांकः 20 अगस्त, 2025

विषयः– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0–2013 के अनुपालनार्थ मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No. 1688/2023 Civil Appeal No. 2482 / 2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa & Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदया / महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या–589–93 / निदे0म0क0 / अनु0 / सिविल अपील–2482 / 2014 / 2024–25 दिनांक– 26 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उक्त सिविल अपील संख्या–2482 / 2014 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के क्रम में **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0 2013 की धारा–4** के अनुरूप समस्त कार्यस्थलों पर नियमानुसार ''आन्तरिक परिवाद समिति'' (Internal Complaint Committee) के गठन का सर्वे किये जाने हेतु महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपनाये गये प्रारूप को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध किया गया था कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ अपने विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, परिषदों एवं आयोगों का सर्वे कराते हुए सर्वे रिपोर्ट दिनांक 25.07.2025 तक निदेशालय की ईमेल आई0डी0–anudaangrant@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें परन्तु सर्वे रिपोर्ट आपके स्तर से अपेक्षित है।

अतः महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपनाये गये प्रारूप को इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ अपने विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, परिषदों एवं आयोगों का सर्वे कराते हुए सर्वे रिपोर्ट निदेशालय की ईमेल आई0डी0–anudaangrant@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीया

(संदीप कौर)
निदेशक।

सं0 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कौर)
निदेशक।

ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा)उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3–सचिव,
शिक्षा सेवा चयन आयोग,
प्रयागराज।

पत्रांकः–डिग्री विकास/2218 /2025–26 दिनांक 18/11/2025

विषयः–महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0–2013 के अनुपालनार्थ मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित **M.A. No.1688/2023 Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others** में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–1090–91/निदे0म0क0/अनु0/सिविल अपील–2482/2014/2024–25 दिनांक 20 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0–2013 के अनुपालनार्थ मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No.1688/2023 Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक है।

उक्त के क्रम में आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना इस कार्यालय की ई–मेल आई0डी0–dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

18/11/25
डॉ0(शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0 प्रयागराज।

पृष्ठांकन–डिग्री विकास/2218–20 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपिः 1– विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रषित।
2–निदेशक, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3–अपर सचिव राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त कर समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

18/11/25
डॉ0(शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0 प्रयागराज।

01C

State of Uttar pradesh

S.No.	Information to be Furnished
1	As per the Survey Conducted by the District Officers, there are a total ------- public and private establishments having 10 or more than 10 employees are functioning in the State of uttar pradesh ------- public and ------ private establishments]
2	Total -------- internal complaint committees have been constituted out of which --------- are in public and --------- are in private establishments.
3	There are a total ------- establishments that remain to constitute Internal Complaint Committees.
4	District Officer, ------ has imposed penalty of Rs. ------- on ---------- as per section 26 of POSH Act.
5	Information furnished through District Survey-:

		No. of Institutions with >10 employees			No. of ICCs Constituted			No. of ICC not constituted		
		Govt.	Private	Total	Govt.	Private	Total	Govt.	Private	Total
S.No.	District									
1										
2										
3										
4										

Scanned with OKEN Scanner